**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या 1483**

**दिनांक 04.03.2020/14, फाल्गुन,1941 (शक) को उत्तर के लिए**

**मानव तस्करी**

**1483. श्री कामाख्या प्रसाद तासाः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) देश में अवैध मानव तस्करी के विरूद्ध कुल कितने मामले दर्ज किए गए हैं, विगत पांच वर्षों का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;**

**(ख) वर्ष 2018-2019 के दौरान कुल कितने मामलों का समाधन किया गया है; और**

**(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने बच्चों की तस्करी की गयी?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)**

(क): राष्‍ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्‍यूरो (एनसीआरबी) राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा उसे सूचित किए गए मानव तस्‍करी से संबंधित आंकड़े संकलित करता है और उसे अपने वार्षिक प्रकाशन ‘क्राइम इन इण्डिया’ में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2018 की है। वर्ष 2014 से 2018 तक सूचित किए गए मानव तस्‍करी के मामलों का राज्‍य/संघ राज्‍य–क्षेत्र-वार ब्‍यौरा **अनुलग्‍नक-।** में दिया गया है।

(ख): एनसीआरबी द्वारा संकलित किए गए आंकड़ों के अनुसार, ऐसे कुल मामलों की संख्‍या, जिनमें विचारण (ट्रायल) पूरा हो गया था, वर्ष 2017 में 669 और वर्ष 2018 में 687 थी।

(ग): वर्ष 2017 और 2018 में बच्‍चों की तस्‍करी की कुल संख्‍या क्रमश: 3535 और 2834 थी।

\*\*\*\*\*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **वर्ष 2014 से 2018 के दौरान मानव तस्‍करी के तहत दर्ज किए गए राज्‍य/संघ राज्‍य–क्षेत्र-वार मामले** | | | | | | |
| **क्र.सं.** | **राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 4 | 190 | 239 | 218 | 240 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 39 | 11 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | असम \* | 105 | 183 | 91 | 262 | 262 |
| 4 | बिहार | 85 | 52 | 43 | 121 | 127 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 80 | 65 | 68 | 48 | 51 |
| 6 | गोवा | 32 | 30 | 40 | 39 | 55 |
| 7 | गुजरात | 60 | 383 | 548 | 9 | 13 |
| 8 | हरियाणा | 44 | 75 | 51 | 22 | 34 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 8 | 11 | 8 | 11 | 6 |
| 10 | जम्मू एवं कश्मीर | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | झारखंड \* | 148 | 228 | 109 | 373 | 373 |
| 12 | कर्नाटक | 317 | 379 | 404 | 31 | 27 |
| 13 | केरल | 5 | 23 | 21 | 53 | 105 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 41 | 49 | 51 | 87 | 63 |
| 15 | महाराष्ट्र | 356 | 692 | 517 | 310 | 311 |
| 16 | मणिपुर | 39 | 1 | 3 | 8 | 3 |
| 17 | मेघालय | 5 | 1 | 7 | 8 | 24 |
| 18 | मिजोरम | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | नागालैंड | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ओडिशा | 765 | 73 | 84 | 63 | 75 |
| 21 | पंजाब | 3 | 8 | 13 | 5 | 17 |
| 22 | राजस्थान | 464 | 1262 | 1422 | 316 | 86 |
| 23 | सिक्किम | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 24 | तमिलनाडु | 379 | 464 | 434 | 13 | 8 |
| 25 | तेलंगाना | 176 | 606 | 229 | 329 | 242 |
| 26 | त्रिपुरा | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 25 | 22 | 79 | 46 | 35 |
| 28 | उत्तराखंड | 43 | 29 | 12 | 20 | 29 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 1768 | 2099 | 3579 | 357 | 172 |
|  | **कुल राज्‍य** | **4996** | **6941** | **8057** | **2757** | **2367** |
| 30 | अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | चंडीगढ़ | 12 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | दादरा एवं नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | दमण एवं दीव | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 34 | दिल्‍ली संघ राज्‍य क्षेत्र | 200 | 177 | 66 | 95 | 98 |
| 35 | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | पुदुचेरी | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | **कुल संघ राज्‍य क्षेत्र** | **239** | **202** | **75** | **97** | **98** |
|  | **कुल अखिल भारत** | **5235** | **7143** | **8132** | **2854** | **2465** |
| **नोट:** वर्ष 2014 और 2015 के आंकड़े अनंतिम हैं।  असम और झारखंड से वर्ष 2018 के आंकड़े प्राप्त न होने के कारण, वर्ष 2017 के लिए उपलब्‍ध कराए गए आंकड़ों का उपयोग किया गया है।  अब जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्‍य क्षेत्र  अब दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्‍य क्षेत्रों को एक संघ राज्‍य क्षेत्र के रूप में मिला दिया गया है।  **स्रोत:** वर्ष 2014 से 2016 के संबंध में राज्य/संघ राज्‍य क्षेत्र पुलिस की मानव तस्‍करी रोधी यूनिटों से प्राप्त मासिक मानव तस्‍करी रोधी आंकड़े तथा क्राइम इन इंडिया- 2017 और 2018 में प्रकाशित राज्य/संघ राज्‍य क्षेत्र की मानव तस्‍करी रोधी यूनिटों से प्राप्त वार्षिक मानव तस्‍करी रोधी आंकड़े।  \*\*\*\*\*\* | | | | | | |